न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आर.के.जैन**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2158-पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 05/06/2014 पारित द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद अपील प्रकरण क्रमांक 197/अपील/2012-13

---

1. रामकुंमार आत्मज शंकर सिंह राजपूत
2. श्यामकुमार आत्मज शंकर सिंह राजपूत
3. शिवकुमार गोदपुत्र रामनारायण
4. लखनलाल शालिगराम
5. नर्मदाप्रसाद आत्मज देवीसिंह राजपूत

निवासीगण झाडबीडा तहसील रहटगांव जिला हरदा ....आवेदकगण

विरूद्ध

विजय कुमार आत्मज रामनारायण चौरे

निवासी झाडबीडा तहसील रहटगांव जिला हरदा ....अनावेदक

श्री संजय त्रिपाठी, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री एस.एस. पटेल, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 04/10/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 05/06/2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम झाडवीड़ा श्रीराम मंदिर के नाम से खसरा नंबर 73/1 रकवा 3.926 हेक्टयर एवं खसरा नंबर 074 रकवा 0.121 हेक्टयर, ग्राम कालपी में खसरा क्रमांक 10 रकवा 3.185 हेक्टयर भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है । उक्त भूमि पर सरवराहकार के रूप में श्री धन्नालाल पिता श्री गुरूदयाल का नाम दर्ज है । श्री धन्नालाल की मृत्यु 35 वर्ष पूर्व हो चुकी है । उक्त भूमि पर श्री धन्नालाल की पुत्री लीलाबाई एवं पुत्र श्री नारायण प्रसाद का नाम दर्ज किया जावे । विचारण न्यायालय तहसीलदार द्वारा

प्रकरण क्रमांक 13अ-6/2010-11 में दिनांक 21.04.2011 को आदेश पारित करते हुये वारसान हक में आवेदक विजय कुमार पिता श्री नारायण प्रसाद का नाम दर्ज किया गया । इस आदेश से परिवेदित होकर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी श्रीराम कुमार व अन्य द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । प्रकरण में सुनवाई उपरांत अवधि विधान अंतर्गत धारा 5 पर दिनांक 22.03.2013 को आदेश पारित करते हुये धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त कर अपील क्रमांक 70 अपील (अ-6)/2011-12 आदेश दिनांक 22-03-13 से अस्वीकार की गई । इस आदेश से परिवेदित होकर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के समक्ष आवेदक द्वारा अपील प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 05-06-2014 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-06-2014 का Operating para निम्नानुसार है ।

"अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों एवं तर्कों के परिशीलन करने पर पाया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत् ईश्तहार का प्रकाशन किया जाना पाया गया तथा समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है । प्रश्नाधीन भूमि श्री रामचंदजानकी मंदिर सरवराहकार धन्नूलाल-गुरूदयाल प्रबंधक कलेक्टर, हरदा भूमिस्वामी हक में अभिलिखित है । तहसीलदार द्वारा प्रकरण में संपूर्ण जांच उपरांत दिनांक 15-03-2011 को प्रतिवेदन अंकित कर अधीनस्थ न्यायालय को अनुशंसा सहित प्रस्तुत किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06-04-2011 को आदेशित किया गया कि उक्त मंदिर ~~पब्लिक~~ पब्लिक ट्रस्ट में दर्ज नहीं है । प्रकरण निराकरण हेतु विचारण न्यायालय को वापस भेजा गया । तदुपरांत विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21-04-2011 को प्रकरण में आदेश पारित कर उत्तरवादी का नाम दर्ज किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के अभिलेख में संलग्न सजरा रिपोर्ट पर अपीलार्थी क्रमांक 4 लखनलाल एवं क्रमांक 5 नर्मदाप्रसाद के हस्ताक्षर होने के फलस्वरूप उन्हें उक्त प्रकरण की जानकारी पूर्व होना पाते हुए अपील समय-सीमा में प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त करते हुए अपील अस्वीकार की गई है । अतः अपीलार्थीगण के इस आधार को मान्य नहीं किया जा सकता है कि उन्हें विचारण न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं थी, जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वर्ष के उपरांत

अपील प्रस्तुत की गई । इस संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त करते हुए अपील अस्वीकार किये जाने का आदेश विधि के प्रावधानों के अनुकूल होने से अहस्तक्षेपनीय है । अत: अपील अस्वीकार की जाती है ।"

6/ अनुविभागीय अधिकारी टिमरनी के आदेश दिनांक 22-03-13 के अंतिम दो पैरा निम्नानुसार है ।

" अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रा.प्र.क्रं. 13 अ-6 वर्ष 2010-11 ग्राम झाड़बाडी का अवलोकन किया गया । आवेदक विजयकुमार चौबे द्वारा ग्राम झाड़बाडी में श्रीराम जानकी मंदिर के नाम दर्ज भूमि पर वारसान हक में नाम दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था । निम्न न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर ईश्तहार का प्रकाशन कराया गया । समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई । प्रकरण में तहसीलदार रहटगांव द्वारा दिनांक 15-03-2011 को प्रतिवेदन अंकित कर श्री रामचंद जानकी मंदिर की भूमि पर वारसान हक में नाम दर्ज किये जाने हेतु अनुशंसा सहित इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया । तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 06-04-2011 को आदेशित किया गया कि उक्त मंदिर पब्लिक ट्रस्ट में दर्ज नहीं है अत: प्रकरण निराकरण हेतु तहसीलदार रहटगांव को वापस भेजा गया । तहसीलदार रहटगांव द्वारा प्रकरण में दिनांक 21-04-2011 को आदेश पारित किया जाकर आवेदक का नाम वारसान हक में दर्ज किया जाना स्वीकार किया गया । उक्त प्रकरण में संलग्न आवेदक के परिवार का सजरा पंचनामा पर अपीलार्थी क्रमांक 4 लखनलाल एवं क्रमांक 5 नर्मदाप्रसाद के हस्ताक्षर होना पाये गये इससे उत्तरवादी की ओर से प्रस्तुत तर्क की पुष्टि होती है कि आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण को रही है । अपीलार्थीगण का श्रीराम जानकी मंदिर ग्राम झाडबाडी के नाम दर्ज भूमि पर नाम दर्ज नहीं रहा है और न ही अपीलार्थीगण के पूर्वजों का नाम दर्ज रहा। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा अपीलार्थीगण को निम्न न्यायालय में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया ।

3/4 अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत कर तथा प्रस्तुत तर्कों के साथ संलग्न संशोधन नकल अनुसार स्वयं को हितबद्ध पक्षकार बताया जाकर स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न किया गया है । स्वत्व के प्रश्न का निराकरण किये जाने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । अपीलार्थीगण अथवा इनके पूर्वजों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं होने से प्रस्तुत अवधि विधान अंतर्गत धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है ।"

7/ आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत व न्यायोचित है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-06-2014 एवं अनुविभागीय अधिकारी टिमरनी का आदेश दिनांक 22-03-2013 स्थिर (Maintain) रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

04.10.18

(आर.के.जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर